कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–770/ 741 रायपुर, दिनांक 15/03/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय: – आवेदनकर्ता, प्रबंधक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. केप्टिव पावर प्लांट के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.117 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–05/ 2021/ 10–2 दिनांक 04.03.2021

2. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक अधि./ 363 दिनांक 08.03.2021

= 0 =

विषयांकित प्रकरण में संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र	छ.ग. शासन, वन विभाग की प्रेक्षा	नोडल कार्यालय का टीप
1	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 31 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत रायगढ़ जिले में इसी श्रेणी के 1 स्वीकृत प्रकरणों मं 0.820 हे. वन भूमि व्यपवर्तित लेख किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 92 में इसी श्रेणी के 5 स्वीकृत प्रकरणों में 2.015 हे. लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 92 में इसी श्रेणी के 5 स्वीकृत प्रकरणों में 2.015 हे. लेख किया गया है, जो सही है।
2	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 32 में प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं होने का लेख किया गया है, किन्तु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत हाथियों का आवागमन होता रहता है अपितु बिन्दु क्रमांक 42 में वन्यप्राणी परियोजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु क्रमांक 42 में वन्यप्राणी परियोजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र 0.117 हे. का है तथा पाईप लाईन जमीन के अंदर लिये जाने से वन्यप्राणियों एवं हाथियों का आवागमन होने से वन्यप्राणियों को कोई क्षति पहुंचने की संभावना नहीं है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 99 में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदायित वन अधिकार अधिनियम मान्यता पत्र वितरण प्रमाण पत्र Annexure-I में क्रमांक एवं दिनांक दर्ज नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 99 में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदायित वन अधिकार अधिनियम मान्यता पत्र वितरण प्रमाण पत्र Annexure-I में क्र. एवं दिनांक अंकित कर संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

(34)

उपरोक्तानुसार वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल से बिन्दुवार प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–770/ 742 रायपुर, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **प्रबंधक**, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़